अपने अधिकार जानिए

एच.आई.वी. और एड्स (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017

एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों द्वारा वर्षों तक किए गए संघर्ष के बाद यह क़ानून पारित किया गया है। इस क़ानून का उद्देश्य है:

- एच.आई.वी.और एड्स का रोकथाम और नियंत्रण करना
- एच.आई.वी. पॉज़िटिव और एच.आई.वी. और एड्स से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना
- एच.आई.वी. और एड्स के उपचार और देखभाल का प्रबंध करना
- एच.आई.वी. और एड्स के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के "एच.आई.वी. एड्स पर प्रतिबद्धता संबंधी घोषणा 2001" को प्रभाव देना

सूचना

इस प्रकाशन में मौजूद जानकारी, कानून का एक अवलोकन है।
यह कानूनी सलाह नहीं है।
कानूनी सलाह के लिए कृपया किसी वकील से संपर्क करें।

C-HELP | CENTRE FOR HEALTH EQUITY, LAW & POLICY

ILS

सूचित सहमति

एच.आई.वी. परीक्षण (टेस्ट), चिकित्सा, उपचार, और एच.आई.वी. सम्बन्धी अनुसंधान के लिए, पहले सूचित सहमति लेना अनिवार्य है

- कानूनी तौर पर वैद्य होने के लिए, सूचित सहमती:
  - किसी विशेष/स्पष्ट उद्देश्य के लिए होनी चाहिए – जैसे कि रक्तदान, डायलिसिस या अन्य अनिवार्य चिकित्सकीय परीक्षण
  - बिना किसी दबाव, धोखाधड़ी, गलती या गलतबयानी के लेनी चाहिए
  - जोखिम, लाभ और उपलब्ध विकल्पों की पूरी जानकारी के आधार परलेनी चाहिए
  - आपकी समझ की भाषा और तरीके में होनी चाहिए

- एच.आई.वी. परीक्षण के पहले और बाद में परामर्श (काउंसलिंग) दिया जाना चाहिए।

- एच.आई.वी. टेस्ट कराना किसी नौकरी के लिए या नौकरी में बने रहने, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने की **पूर्व-शर्त नहीं हो सकता**।

  अपवाद (एक्सेप्शन): सूचित सहमति के बिना एच.आई.वी. परीक्षण केवल इन परिस्थितियों में किया जा सकता है:
  - यदि किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो
  - लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों में स्क्रीनिंग के लिए
  - अनुसंधान (रिसर्च) या थेरपी हेतु शरीर के अंगों का परीक्षण करने के लिए
  - यदि निगरानी या महामारी विज्ञान के लिए गुमनाम रूप से किया गया हो

एच.आई.वी. स्थिति की गोपनीयता

अदालत के आदेश के अलावा आपको अपनी एच.आई.वी. स्थिति का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

- कोई मित्र, सहकर्मी या अन्य व्यक्ति जिसे आपकी एच.आई.वी. स्थिति या उससे जुड़ी जानकारी गोपनीय रूप से पता है, वह आपकी स्पष्ट सहमति के बिना यह जानकारी किसी और को नहीं बता सकता, और न ही उसे ऐसा करने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है।

- आपके डॉक्टर, वकील या आपके साथ भरोसेमंद संबंध (फिडूशियरी) रखने वाला कोई व्यक्ति आपकी लिखित सूचित सहमति के बिना आपकी एच.आई.वी. स्थिति या जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता है।

- एच.आई.वी. से संबंधित जानकारी दर्ज करने वाले संस्थानों के लिए **डेटा सुरक्षा उपाय** अपनाना अनिवार्य है ताकि एच.आई.वी. डेटा के लीक या चोरी को रोका जा सके।

  अपवाद (एक्सेप्शन): आपकी एच.आई.वी. संबंधी जानकारी का खुलासा आपकी सूचित सहमति के बिना केवल तभी किया जा सकता है, जब –
  - जानकारी को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (जैसे डॉक्टर या नर्स) को आपके इलाज के लिए बताना ज़रूरी हो
  - न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो या कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक हो
  - आपके साथी को सूचित करने के लिए (साथी का मतलब है: विवाह की प्रकृति के रिश्ते में पति – पत्नी या दो व्यक्ति)
  - यह सांख्यिकीय (स्टैटिस्टिकल) या अन्य जानकारी से संबंधित है जिससे आपकी पहचान नहीं की जा सकती
  - अगर यह एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम की निगरानी, मूल्यांकन या देखरेख के लिए किसी खास सरकारी अधिकारी को दिया जा रहा है

एच.आई.वी. संक्रमण रोकने का दायित्व

आप पर सिर्फ़ ऐसी स्थिति में होता है जब आप एच.आई.वी. पॉजिटिव हों और जानते हों कि एच.आई.वी. कैसे फैलता है

- यदि ऐसा है तो:
  - **उचित सावधानियां बरतें** – संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करें। साफ सुथरे सुइयों का उपयोग करें। यौन संपर्क या सुई साझा करने वाले साथी को अपनी एच.आई.वी. स्थिति के बारे में पहले से बताएं
  - यौन संपर्क के मामले में, यदि इस दायित्व का पालन करने से, किसी एच.आई.वी. से प्रभावित महिला को या उसके करीबियों को हिंसा, परित्याग या गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, तो यह दायित्व उस पर पर लागू नहीं है

साथी को सूचित करना

साथी का मतलब है विवाह की प्रकृति के रिश्ते में पति - पत्नी या दो व्यक्ति

- आपकी एच.आई.वी. स्थिति की जानकारी आपके साथी को कब और कैसे दी जा सकती है - आपके चिकित्सक/काउंसलर आपके साथी को सूचित करने का निर्णय ले सकते हैं।

- साथी सूचना **केवल तभी हो सकती है** जब चिकित्सक/काउंसलर:
  - तथ्यपूर्ण रूप से मानते है कि आपसे, आपके साथी को एच.आई.वी. संक्रमण का गंभीर जोखिम/संभावना हो सकता है; और
  - आपको अपनी स्थिति अपने साथी को बताने की सलाह दे चुके हैं ; और
  - उन्हें विश्वास है कि आप अपने साथी को सूचित नहीं करेंगे; और
  - वह आपको सूचित कर चुके है, कि वे आपके साथी को आपकी स्थिति का खुलासा करने का इरादा रखते हैं; और
  - ऐसा खुलासा आपके साथी को काउंसलिंग/परामर्श (सलाह) देने के बाद व्यक्तिगत रूप से करते हैं

- चाहे उनका निर्णय जो भी हो, इसके लिए वह आपराधिक या नागरिक दायित्व के अधीन नहीं है।

अपवाद (एक्सेप्शन): चिकित्सक/काउंसलर एच.आई.वी. से संक्रमित महिला की एच.आई.वी. स्थिति उसकी सहमति के बिना उसके साथी को सूचित नहीं कर सकते, यदि ऐसा करने से महिला या उसके किसी करीबी के साथ हिंसा, परित्याग या गंभीर नकारात्मक नतीजों का ख़तरा है।

संरक्षित व्यक्ति

वह होता है:

- जो एच.आई.वी. के साथ जी रहा हो (पीड़ित); या
- जो आमतौर पर एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्ति के साथ रहता हो/रहा हो, या किसी एड्स से मृत व्यक्ति के साथ रहा हो

भेदभाव न करना

एक संरक्षित व्यक्ति को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में ग़ैर भेदभाव का अधिकार है

- इन क्षेत्रों में आपको न तो सेवा से वंचित किया जा सकता है, न ही सेवा रोकी जा सकती है, और न ही आपके साथ अनुचित व्यवहार किया जा सकता है:
  - रोजगार या व्यवसाय
  - स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा संस्थान और सेवाएँ
  - आम जनता के लिए उपलब्ध किसी भी वस्तु या सेवा तक पहुँच या उनका उपयोग करने का अधिकार - जैसे दुकानें, रेस्तरां, होटल, मनोरंजन के स्थान, कुएं, स्नान घाट,कब्रिस्तान और श्मशान
  - घूमने की स्वतंत्रता के संबंध में
  - किसी भी संपत्ति पर निवास करने, खरीदने, किराए पर लेने या कब्जा करने के अधिकार के संबंध में
  - सार्वजनिक या निजी पद के लिए खड़ा होना, या धारण करना
  - सरकारी या निजी प्रतिष्ठान - जिनकी देखभाल या संरक्षण में आप हो सकते हैं
  - बीमा प्रदान करने में इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना, जब तक कि वह आंकिक (एक्चुएरियल) अध्ययनों द्वारा समर्थित न हो

- रोजगार, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा या किसी अन्य सेवा या सुविधा के लिए पूर्व शर्त के रूप में एच.आई.वी. परीक्षण भेदभाव का एक रूप है।

- अगर कार्यस्थल पर आपसे दूसरों को एच.आई.वी. होने की भारी संभावना है, या एच.आई.वी. के कारण आप अपने काम की ज़िम्मेदारियाँ ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, तो यह आपका अधिकार है कि आपके काम में ज़रूरी बदलाव किए जाएँ, जिससे आप अपना काम ठीक से कर सकें और एच.आई.वी. फैलने का खतरा भी नियंत्रित रहे।

- संरक्षित व्यक्तियों के खिलाफ नफरत या भेदभाव को बढ़ावा देने पर जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अपवाद (एक्सेप्शन): आपकी नौकरी केवल तभी आपकी एच.आई.वी. स्थिति के आधार पर समाप्त की जा सकती है जब कोई योग्य और स्वतंत्र स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (जैसे डॉक्टर) लिखित रूप में यह बताए कि आप एच.आई.वी. संक्रमण का गंभीर जोखिम पैदा करते हैं या कार्य करने में अयोग्य हैं, और आपका नियोक्ता (एम्प्लॉयर) लिखित में यह बताए कि वह आपको उचित समायोजन प्रदान करने में वित्तीय या प्रशासनिक रूप से असमर्थ है।

सुरक्षित कार्य परिवेश

सार्वभौमिक (वैश्विक) सावधानियाँ संपर्क से बचाव करती हैं और एच.आई.वी. संक्रमण के जोखिम को कम करती हैं

- इसमें शामिल हैं:
  - इन सुरक्षा उपायों से जुड़ी जानकारी और प्रशिक्षण
  - व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (दस्ताने, गाउन और मास्क)
  - हाथ धोना
  - सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ

- यदि आपके कार्यस्थल पर, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जगहों पर, एच.आई.वी. संक्रमण का गंभीर जोखिम है, तो आपको पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफाइलेक्सिस (P.E.P.) और यूनिवर्सल प्रीकॉशन्स (सामान्य एहतियात) का अधिकार है।
  एच.आई.वी. के लिए **पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस** का मतलब है संभावित संक्रमण के संपर्क में आने के बाद तुरंत दी जाने वाली दवाएँ, ताकि वायरस से संक्रमण होने की संभावना को रोका जा सके।
  कार्यस्थल पर सार्वभौमिक संरक्षण (यूनिवर्सल प्रोटेक्शन) का मतलब है हर कर्मचारी को संक्रमण या चोट से बचाने के लिए बुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन करना, जैसे दस्ताने, मास्क, एप्रन, सैनिटाइज़र और सुरक्षा उपकरण।

प्रतिष्ठानों के दायित्व

- सभी सार्वजनिक और निजी संस्थान जिनमें 100 या उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों, तथा सभी स्वास्थ्य संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति हों, के लिए:
  - एच.आई.वी. और एड्स नीति 2022 को अपनाना अनिवार्य है, जिसमें प्रमुख मुद्दे शामिल हों जैसे: गैर-भेदभाव, गोपनीयता, शिकायत निवारण और एच.आई.वी. के साथ रहने वाले कर्मचारियों के लिए सहयोग
  - संस्थान के भीतर अधिनियम के उल्लंघनों से निपटने के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है

सरकारी दायित्व

अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न दायित्व हैं

- संरक्षित व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना और इन योजनाओं तक पहुंच में सुधार करना
- आयु-उपयुक्त, लिंग-संवेदनशील, कलंक मुक्त और भेदभावरहित एच.आई.वी. संबंधित जानकारी, शिक्षा और संचार विकसित करना
- विवाह से पहले एच.आई.वी. संबंधी जानकारी, शिक्षा और संचार प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करना

जोखिम कम करना

ऐसे काम और गतिविधियों जो एच.आई.वी. संक्रमण या इसके प्रतिकूल प्रभाव के जोखिम को कम करती हैं

- उनमें निम्नलिखित प्रावधान/उपयोग शामिल है:
  - एच.आई.वी. रोकथाम और सुरक्षित तरीक़े अपनाने के बारे में जानकारी देने, समझाने, बातचीत करने और सलाह देने की सेवाएँ
  - सुरक्षित यौन संबंध के साधन जैसे कंडोम
  - औषधि प्रतिस्थापन और औषधि अनुरक्षण - नशे के आदी व्यक्ति को ज़्यादा हानिकारक नशीली चीज़ की जगह नियंत्रित और सुरक्षित दवाई देकर, नशा धीरे-धीरे कम करना और उसे नशे से मुक्त करना
  - व्यापक इंजेक्शन सुरक्षा - जैसे कि नयी सुई इस्तेमाल करना, इस्तेमाल की हुई सुई को सही ढंग से नष्ट करना और हाथ साफ रखना

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन रणनीतियों को प्रदान करने और उपयोग करने वाले व्यक्ति किसी भी आपराधिक या नागरिक (सिविल) दायित्व से मुक्त हैं और उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए, दोनों प्रदाता और उपयोगकर्ता निम्नलिखित मामलों/स्थितियों में सुरक्षित हैं:
  - सेक्स वर्कर्स या उनके ग्राहकों द्वारा कंडोम की सप्लाई या उपयोग
  - पुरुषों या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों को एच.आई.वी. या यौन स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, शिक्षा और संचार या कंडोम प्रदान करना
  - नशा करने वाले लोगों को साफ सुई उपलब्ध कराना और नशा छुड़ाने के लिए दवाओं से इलाज की सुविधा देना – यह कार्यक्रम उन्हें दूषित सुई से होने वाले संक्रमण से बचाता है और धीरे-धीरे नशे की आदत छोड़ने में मदद करता है

एच.आई.वी. रोकथाम, उपचार और देखभाल

- एच.आई.वी. से पीड़ित व्यक्ति को सरकार से मुफ्त जांच, दवाइयाँ (एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी) और बीमारी के दौरान होने वाले दूसरे संक्रमणों का इलाज पाने का अधिकार है।

सरकारी देखरेख और हिरासत में रहने वाले व्यक्ति

- सरकारी हिरासत या देखभाल संस्थानों - जेलों, हिरासत केंद्रों, आश्रयों, देखभाल घरों - में लोगों को एच.आई.वी. की रोकथाम, परामर्श (काउंसलिंग), परीक्षण और उपचार सेवाओं का अधिकार है।

महिलाएँ और एच.आई.वी.

एच.आई.वी. से पीड़ित महिलाओं को अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त है

- अगर किसी एच.आई.वी. से पीड़ित महिला को अपने साथी को बताने या संक्रमण रोकने के उपाय अपनाने के कारण हिंसा, त्याग या कोई नुकसान होने का डर हो, तो उस पर यह ज़िम्मेदारी लागू नहीं है।
- एच.आई.वी. से पीड़ित या प्रभावित महिलाओं को साझा घर में रहने और भाग लेने का अधिकार है।
- एच.आई.वी. से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा एच.आई.वी. परामर्श (काउंसलिंग) और एच.आई.वी. उपचार तथा गर्भावस्था से संबंधित जानकारी मिलने का अधिकार है।
- एच.आई.वी. से पीड़ित महिला की सूचित सहमति के बिना उस महिला की नसबंदी या गर्भपात नहीं किया जा सकता है।

बच्चे और एच.आई.वी.

एच.आई.वी. से पीड़ित बच्चों को सरकार से इलाज, देखभाल और ज़रूरी मदद पाने का अधिकार है

बच्चा वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम होती है।

- एच.आई.वी. से पीड़ित या प्रभावित बच्चों को साझा घर में रहने और भाग लेने का अधिकार है।
- एच.आई.वी. से प्रभावित बच्चे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए दस्तावेज़ जमा करने या शिकायत दर्ज करने के लिए बाल कल्याण समिति से संपर्क किया जा सकता है।
- एच.आई.वी. से पीड़ित या प्रभावित बच्चे अपने छोटे भाई-बहनों के स्कूल में दाखिले, बैंक के काम, देखभाल, इलाज और दूसरे ज़रूरी कामों में अभिभावक की तरह भूमिका निभा सकते हैं।
- एच.आई.वी. से प्रभावित बच्चों के माता-पिता, अपनी असमर्थता या मृत्यु की स्थिति में बच्चे की देखभाल के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को कानूनी देखभाल करने वाला/अभिभावक नियुक्त कर सकते हैं।

अधिनियम के उल्लंघन के लिए उपाय

अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अधिकार के उल्लंघन पर पीड़ित को शिकायत अधिकारी, लोकपाल अथवा न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

एच.आई.वी अधिनियम का उल्लंघन

- किसी प्रतिष्ठान जैसे कार्यालय या कारखाने में उल्लंघन → शिकायत अधिकारी से संपर्क करें
- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में भेदभाव और अधिनियम का उल्लंघन → लोकपाल से संपर्क करें
- अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के लिए सिविल न्यायालय में आवेदन करें

आपको शिकायत करते समय गोपनीयता की मांग करने का अधिकार है और शिकायत दर्ज कराने या कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने के कारण किसी भी तरह की प्रताड़ना से बचाव का भी अधिकार है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

शिकायत अधिकारी

100+ व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठानों और 20+ व्यक्तियों वाले स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक/निजी, को अधिनियम के उल्लंघन से निपटने के लिए एक वरिष्ठ व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नामित करना होगा।

शिकायत दर्ज करना

- उल्लंघन की जानकारी होने के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। यदि शिकायत अधिकारी अनुमति देता है तो इसे अतिरिक्त 3 महीने के भीतर दाखिल किया जा सकता है।
- प्रत्येक शिकायत को दिए गए फॉर्म के अनुसार या शिकायत अधिकारी की उचित सहायता से लिखा जाना चाहिए।
- शिकायतें व्यक्तिगत रूप से, या पोस्ट/टेलीफोन/ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।

पावती

- शिकायत अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत की पावती प्रदान करनी होगी।

निर्णय

- शिकायत अधिकारी को 7 कार्य दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए। आपात स्थिति में, जैसे कि इलाज की ज़रूरत हो, तो निर्णय उसी दिन लिया जाना चाहिए।
- शिकायत अधिकारी को अपने निर्णय का कारण सभी संबंधित पक्षों को निर्णय की तारीख से 10 दिनों के भीतर बताना अनिवार्य है।

यदि अधिनियम का उल्लंघन पाया जाता है

शिकायत अधिकारी यह कर सकते हैं -

- संस्थान को निर्देश दें कि वह उल्लंघन को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
- उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को परामर्श दें।
- यदि आगे और उल्लंघन होते हैं, तो अनुशासन संबंधी कार्रवाई की सिफारिश करें।

यदि कोई निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अन्य कानूनी कार्रवाई कर सकता है, जैसे लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करना या न्यायालय जाना।

लोकपाल

- एच.आई.वी. अधिनियम के प्रमुख उल्लंघनों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को कम से कम एक लोकपाल नियुक्त करना होगा।
- उन्हें विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी बुलाया जा सकता है, जैसे एच.आई.वी. लोकपाल (मुंबई) या भेदभाव-विरोधी अधिकारी (एन.सी.टी. दिल्ली)।

शिकायत दर्ज करना

- यदि किसी को एच.आई.वी. से संबंधित भेदभाव का सामना करना पड़ता है या सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो लोकपाल के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- लोकपाल के बारे में नियम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग हैं, शिकायत दर्ज करने से पहले इन्हें देखें।

↓

निर्णय

- दोनों पक्षों को सुनने के बाद, लोकपाल को 30 दिनों के भीतर शिकायत पर निर्णय लेना होगा और निर्णय का लिखित कारण बताना होगा।
- यदि शिकायत किसी चिकित्सीय आपात स्थिति से संबंधित है, तो लोकपाल को 1 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए।

↓

निर्णय का उल्लंघन

- लोकपाल के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

फैसले से संतुष्ट नहीं होने पर अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है - जैसे कि न्यायालय में आवेदन करना।

न्यायालय

- अधिनियम के तहत किसी भी उल्लंघन के लिए आपको सिविल न्यायालय (कोर्ट) में जाने का अधिकार है।
- 3 स्थितियों में आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है: जब घृणा फैलाने वाला भाषण (हेट स्पीच) दिया गया हो, जब किसी कानूनी कार्यवाही में गोपनीयता का उल्लंघन हुआ हो, या जब लोकपाल (ओम्बड्समैन) के आदेश का पालन नहीं किया गया हो।
- अदालती कार्यवाही में, कोई व्यक्ति गोपनीयता के लिए आवेदन कर सकता है। न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है:
  - काल्पनिक नामों का उपयोग और पहचान की गोपनीयता
  - कार्यवाही खुली अदालत में नहीं होगी
  - किसी के द्वारा - नाम या एच.आई.वी. स्थिति का प्रकाशन न किया जाना। कानूनी कार्यवाही के दौरान एच.आई.वी. स्थिति का खुलासा करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है
- संरक्षित व्यक्तियों से जुड़ी कानूनी कार्यवाही को अदालत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।
- अदालत भरण-पोषण संबंधी मामलों पर निर्णय लेने में अंतरिम भरण-पोषण और एच.आई.वी. से संबंधित किसी भी लागत या चिकित्सा खर्च पर विचार करेगी।
- यदि एच.आई.वी. से संक्रमित किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत को उसकी हिरासत का स्थान तय करते समय उसकी एच.आई.वी. स्थिति पर विचार करना चाहिए, ताकि उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

सूचना

इस प्रकाशन में मौजूद जानकारी कानून का एक अवलोकन है।
यह कानूनी सलाह नहीं है।
कानूनी सलाह के लिए कृपया किसी वकील से संपर्क करें।

उपयोगी लिंक और संसाधन

एच.आई.वी./एड्स अधिनियम 2017

एच.आई.वी./एड्स नियम 2018

एच.आई.वी./एड्स अधिनियम पर वीडियो (अंग्रेज़ी और हिंदी में) - UNDP इंडिया

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)

एच.आई.वी./एड्स के साथ जी रहे लोगों का राष्ट्रीय गठबंधन (NCPI+)

इस पुस्तिका का मुद्रण योग्य संस्करण

C-HELP | CENTRE FOR HEALTH EQUITY, LAW & POLICY

ILS

www.c-help.org